D:\ADN\D.O.C, 2012.docx- 197 -

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

कमांकःएफ.3(88)राज्य/जिला स्तरीय समिति/मबावि/2001–02/ जयपुर, दिनांकः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,
समस्त ।

विषयः– पूरक पोषाहार के प्रबंधों की देखरेख /समीक्षा हेतु गठित समिति का कार्यवाही विवरण भिजवाने के कम में।

प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग के आदेश कमांक एफ6(5)(2)प्र.सु./अनु–3/2006 दिनांक 19.01.2011 के द्वारा समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वितों को आंगनबाडी केन्द्रों पर वितरित किये जाने वाले गरम पूरक पोषाहार एवं आर .टी.ई. पूरक पोषाहार के प्रबंधों की देखरेख/समीक्षा हेतु आपकी अध्यक्षता में जिला स्तरीय पोषाहार प्रबंधन समिति का गठन किया गया था, जिसकी बैठक आप द्वारा प्रतिमाह आयोजित की जाती है।

उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति निदेशालय को प्राप्त नहीं हो रही है। अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 में आयोजित की गई बैठकों के कार्यवाही विवरण की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में आयोजित की जाने वाली बैठकों का कार्यवाही विवरण प्रतिमाह निदेशालय को भिजवाने का श्रम करावें।

SA

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

कमांकःएफ.3(88)राज्य/जिला स्तरीय समिति/मबावि/2001–02/34530-553 जयपुर, दिनांकः– 30.4.13

<u>प्रतिलिपि</u>

1. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान को भेजकर लेख है कि वर्ष 2012–13 आयोजित बैठकों के कार्यवाही विवरण की प्रतियां प्रेषित करते हुए वर्ष 2013–14 में निर्धारित समय पर बैठके आयोजित करवाकर कार्यवाही विवरण की प्रति निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर